



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092025-266562
CG-DL-E-30092025-266562

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2025/आश्विन 8, 1947

No. 642]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2025/ASVINA 8, 1947

वित्त मंत्रालय**(आर्थिक कार्य विभाग)****अधिसूचना**

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2025

सा.का.नि. 726(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सौ वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्के का मूल्यवर्ग - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सौ वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टक्कसाल में एक सौ रुपये मूल्य वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

3. सिक्के की विमाण और संरचना - नियम 2 में उल्लिखित उपरोक्त मूल्यवर्ग का सिक्का निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होगा, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकृति और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	शुद्ध चांदी चांदी- 99.9 प्रतिशत

4. डिज़ाइन – सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार - राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सौ वर्ष के अवसर को मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्यवर्ग के सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

पहली अनुसूची
(नियम 4 देखें)

एक सौ रुपये

अग्र भाग:

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रूपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग पर भारतमाता की छवि के साथ देवी का अभिवादन करते हुए तीन स्वयंसेवकों का चित्र होगा। चित्र के बाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “1925” और चित्र के दाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष “2025” उत्कीर्ण होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष” और सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “100 YEARS OF RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH” उत्कीर्ण लेख लिखा होगा। भारतमाता और तीन स्वयंसेवकों के चित्र के नीचे संस्कृत में, देवनागरी लिपि में “राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम” उत्कीर्ण लेख लिखा होगा।

दूसरी अनुसूची
(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में 999 भाग चांदी। चांदी के अंश की सहनशीलता 999 और उसके ऊपर होगी।	1/8000वां हिस्सा जमा या घटा, अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 तक हो सकता है।

[फा.सं. 02/36/2025- सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2025

G.S.R.726(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of one hundred years of Rashtriya Swayamsevak Sangh) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**— The coin of One Hundred Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of one hundred years of Rashtriya Swayamsevak Sangh.

3. **Dimension and composition of coin.** - The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeters	200	Pure Silver Silver – 99.9 per cent.

4. **Design.**— The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**— The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 to commemorate on the occasion of one hundred years of Rashtriya Swayamsevak Sangh and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

THE FIRST SCHEDULE

[See rule 4]

ONE HUNDRED RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devanagari script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of Bharat Mata along with three swayamsevak saluting the goddess. The year “**1925**” in international numerals shall be inscribed on the left side of the image and the year “**2025**” in international numerals shall be inscribed on the right side of the image. The inscription “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष” shall be written in Devanagari script on the upper periphery of the coin and the inscription “**100 YEARS OF RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH**” shall be written in English on the lower periphery of the coin. The inscription “राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम” shall be written in Sanskrit, in Devanagari script below the image of Bharat Mata and three swayamsevak.

SECOND SCHEDULE

[See rule 5]

Denomination of coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 999 and above.	1/8000th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/36/2025-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser